



2026:AHC:173557

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

भा.ना.सु.सं. की धारा 482 के अंतर्गत आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन संख्या -

8502 सन् 2026

नूरजहां

.....आवेदिका

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....विपक्षी पक्षकार(गण)

आवेदिका के अधिवक्ता

: वीरेन्द्र कुमार

विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता (जी.ए.)

न्यायालय संख्या - 72

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. वर्तमान प्रार्थना पत्र आवेदिका की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 72 सन् 2026, थाना जलालपुर, जनपद हमीरपुर में बी.एन.एस. की धारा 80(2), 85 तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के अंतर्गत उसे अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।
3. आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदिका पूर्णतः निर्दोष है तथा उसे वर्तमान मामले में मिथ्या रूप से फंसाया गया है। अभिकथित अपराध से उसका कोई संबंध नहीं है, इसके बावजूद पुलिस आवेदिका की गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है। आगे यह तर्क दिया गया है कि आवेदिका मृतका की सास है। अभिकथित घटना दिनांक 02.07.2026 को घटित होना बताई जाती है, जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 03.07.2026 को दर्ज कराई गई थी। पूर्व में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट मुकदमा अपराध संख्या 116 सन् 2021 के रूप में, भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए, 323, 506 तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के अंतर्गत, थाना जलालपुर, जनपद जालौन में दर्ज कराई गई थी, जिसमें मृतका का कथन दिनांक 08.04.2025 को अभिलिखित किया गया था; उसने कथन किया कि उसे दहेज की माँग हेतु

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



क्रूरता तथा उत्पीड़न का शिकार नहीं बनाया गया। आवेदिका सरकारी सेवक है तथा वह मृतका के पुत्र की देखभाल कर रही है। अभियोजन का पक्ष चिकित्सीय साक्ष्य से संपुष्ट नहीं है। मृतका के शरीर पर रस्सी के निशान के अतिरिक्त कोई अन्य क्षति नहीं पाई गई। आवेदिका तथा आवेदिका के अन्य परिवारजनों के विरुद्ध सामान्य तथा सर्वग्राही (ओम्निबस) अभिकथन लगाए गए हैं। आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह भी कथन किया है कि आवेदिका विवेचना तथा विचारण के दौरान सहयोग करने का वचन देती है और विवेचना अभिकरण अथवा संबंधित न्यायालय द्वारा जब भी आवश्यक हो, उपस्थित होगी। यह भी कथन किया गया है कि यदि आवेदिका को अग्रिम जमानत प्रदान की जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगी, विवेचना में सहयोग करेगी एवं न्यायालय द्वारा अधिरोपित की जाने वाली समस्त शर्तों का पालन करेगी।

4. दूसरी ओर, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत हेतु प्रार्थना पत्र का विरोध किया है तथा यह निवेदन किया है कि आवेदिका मृतका की सास है तथा वह मृतका के निरंतर संपर्क में थी। पूर्व में उत्पीड़न तथा दहेज की माँग के संबंध में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसमें मृतका को अपने पूर्व पक्ष से मुकरने हेतु बाध्य किया गया तथा इसलिए उसे पक्षद्रोही (हॉस्टाइल) घोषित कर दिया गया। पूर्व की प्रथम सूचना रिपोर्ट यह दर्शाती है कि मृतका के ससुराल में कुछ घटित हुआ था तथा पूर्व की प्रथम सूचना रिपोर्ट में उसने गंभीर चोटें प्राप्त की थीं। मृतका की मृत्यु उसके विवाह के सात वर्षों के भीतर हुई। उसे दहेज की माँग हेतु क्रूरता तथा उत्पीड़न का शिकार बनाया गया। मृतका की मृत्यु उसके ससुराल में हुई तथा आवेदिका ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि उसने अपने ससुराल में आत्महत्या क्यों की। प्रमाण भार आवेदिका पर है।

5. मैंने दोनों पक्षों की प्रतिस्पर्धी प्रस्तुतियों को सुना है एवं अभिलेख का अवलोकन किया है।

6. आवेदिका के विरुद्ध दहेज की माँग तथा उत्पीड़न के संबंध में अभिकथन हैं। मृतका की मृत्यु उसके विवाह के सात वर्षों के भीतर हुई। पूर्व में दहेज की माँग तथा उत्पीड़न के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, तथापि मृतका ने अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया तथा इसलिए उसे पक्षद्रोही घोषित किया गया, किंतु तथ्य यह बना रहता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट उत्पीड़न तथा दहेज की माँग के संबंध में दर्ज कराई गई थी। इस स्तर पर, अभिलेख पर ऐसी कोई सामग्री नहीं है जिससे यह अभिनिर्धारित किया जा सके कि आवेदिका के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



7. श्रीकांत उपाध्याय एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य, (2024) 12 एस.सी.सी. 382 के मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि अग्रिम जमानत प्रदान करने की शक्ति एक असाधारण शक्ति है। उक्त शक्ति के प्रयोग हेतु आह्वान किए जाने पर, न्यायालय को अत्यंत सावधान रहना होगा क्योंकि गंभीर मामलों में अभियुक्त को अंतरिम संरक्षण अथवा संरक्षण प्रदान करने से न्याय का उपहास हो सकता है। जब गिरफ्तारी वारंट अथवा उद्घोषणा जारी की जाती है, तो आवेदिका असाधारण शक्ति का आह्वान करने की हकदार नहीं होती। श्रीकांत उपाध्याय (उपरोक्त) का सुसंगत पैरा संख्या 30 निम्नानुसार उद्धृत है:

“30. हम पहले ही यह अभिनिर्धारित कर चुके हैं कि अग्रिम जमानत प्रदान करने की शक्ति एक असाधारण शक्ति है। यद्यपि अनेक मामलों में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जमानत नियम है, किसी भी दृष्टिकोण से यह नहीं कहा जा सकता कि अग्रिम जमानत नियम है। यह नियम नहीं हो सकता तथा इसे प्रदान किए जाने का प्रश्न प्रत्येक मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर न्यायालय के सावधान तथा विवेकपूर्ण विवेकाधिकार पर छोड़ा जाना चाहिए। उक्त शक्ति के प्रयोग हेतु आह्वान किए जाने पर, संबंधित न्यायालय को अत्यंत सावधान रहना होगा क्योंकि गंभीर मामलों में अभियुक्त को अंतरिम संरक्षण अथवा संरक्षण प्रदान करने से न्याय का उपहास हो सकता है तथा विवेचना में बड़ी सीमा तक बाधा उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि इससे कभी-कभी साक्ष्य से छेड़छाड़ अथवा उसका विचलन हो सकता है। हमें यह नहीं समझा जाना चाहिए कि हमने यह अभिनिर्धारित किया है कि न्यायालय ऐसे प्रार्थना पत्र के विचाराधीन रहते अंतरिम संरक्षण पारित नहीं करेगा, क्योंकि यह धारा किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को अवांछित गिरफ्तारी से संरक्षित करने हेतु नियत है तथा हम यह कहते हैं कि ऐसे आदेश अत्यंत उपयुक्त मामलों में पारित किए जाने चाहिए। किसी भी दशा में, जब गिरफ्तारी वारंट अथवा उद्घोषणा जारी की जाती है, तो आवेदिका असाधारण शक्ति का आह्वान करने की हकदार नहीं होती। निश्चित रूप से, इससे न्यायालय की न्याय के हित में अत्यंत असाधारण मामलों में गिरफ्तारी-पूर्व जमानत प्रदान करने की शक्ति समाप्त नहीं होगी। किंतु ऐसा व्यक्ति जो निरंतर आदेशों की अवहेलना करता है तथा फरार बना रहता है, वह ऐसा अनुदान प्राप्त करने का हकदार नहीं है।”

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



8. पी. चिदंबरम बनाम प्रवर्तन निदेशालय, (2019) 9 एस.सी.सी. 24 के मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि गिरफ्तारी, अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करने के अतिरिक्त कई अन्य प्रयोजनों हेतु विवेचना की प्रक्रिया का एक भाग है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438/बी.एन.एस.एस. की धारा 482 के अंतर्गत शक्ति का प्रयोग विरलतापूर्वक किया जाना चाहिए। गिरफ्तारी-पूर्व जमानत का विशेषाधिकार केवल असाधारण मामलों में ही प्रदान किया जाना चाहिए। पी. चिदंबरम (उपरोक्त) का सुसंगत पैरा संख्या 69 निम्नानुसार पुनरुत्पादित है:

“69. सामान्यतः, गिरफ्तारी, अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करने के अतिरिक्त कई अन्य प्रयोजनों हेतु विवेचना की प्रक्रिया का एक भाग है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के अंतर्गत शक्ति एक असाधारण शक्ति है तथा इसका प्रयोग विरलतापूर्वक किया जाना चाहिए। गिरफ्तारी-पूर्व जमानत का विशेषाधिकार केवल असाधारण मामलों में ही प्रदान किया जाना चाहिए। न्यायालय में निहित न्यायिक विवेकाधिकार का, अभिकथन की प्रकृति तथा गंभीरता; आवेदिका के न्याय से बचकर भागने की संभावना तथा अन्य तत्वों पर विचार करके, यह विनिश्चित करने हेतु सम्यक रूप से प्रयोग किया जाना चाहिए कि क्या यह अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने के योग्य मामला है। अग्रिम जमानत प्रदान करना, कुछ सीमा तक किसी अपराध की विवेचना के क्षेत्र में हस्तक्षेप करता है तथा अतः, न्यायालय को अग्रिम जमानत प्रदान करने हेतु ऐसी शक्ति का प्रयोग करते समय सतर्क रहना चाहिए। अग्रिम जमानत को एक नियम के रूप में प्रदान नहीं किया जाना है तथा इसे केवल तभी प्रदान किया जाना चाहिए जब न्यायालय को यह विश्वास हो कि उस असाधारण उपचार का सहारा लेने हेतु असाधारण परिस्थितियाँ विद्यमान हैं।”

9. यहाँ माननीय उच्चतम न्यायालय के किशोर विश्वासराव पाटिल बनाम दीपक यशवंत पाटिल एवं अन्य, 2022 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 2528 शीर्षक वाले निर्णय, जिसके सुसंगत पैरा संख्या 14 तथा 15 निम्नानुसार हैं, का उल्लेख करना समुचित होगा:

“14.....

74. सामान्यतः, गिरफ्तारी विवेचना की प्रक्रिया का एक भाग है जिसका आशय कई प्रयोजनों को सुरक्षित करना है। ऐसी परिस्थितियाँ हो सकती हैं जिनमें

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अभियुक्त, तात्विक तथ्यों तथा सुसंगत सूचना की खोज की ओर ले जाने वाली सूचना प्रदान कर सके। अग्रिम जमानत प्रदान करना विवेचना में बाधा उत्पन्न कर सकता है। गिरफ्तारी-पूर्व जमानत, व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार तथा अब तक एकत्र की गई सामग्री के संबंध में अभियुक्त से पूछताछ करने एवं प्रासंगिक सूचना की बरामदगी की ओर ले जाने वाली अधिक सूचना एकत्र करने के विवेचक अभिकरण के अधिकार के बीच संतुलन स्थापित करने हेतु है.....

6.....

75. यह प्रेक्षित करते हुए कि गिरफ्तारी विवेचना का एक भाग है जिसका आशय कई प्रयोजनों को सुरक्षित करना है, **अद्वी धरण दास बनाम पश्चिम बंगाल राज्य** [अद्वी धरण दास बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, (2005) 4 एस.सी.सी. 303: 2005 एस.सी.सी. (क्रि.) 933] में यह अभिनिर्धारित किया गया था: (एस.सी.सी. पृ. 313, पैरा 19)

‘19. सामान्यतः, गिरफ्तारी विवेचना की प्रक्रिया का एक भाग है जिसका आशय कई प्रयोजनों को सुरक्षित करना है। अभियुक्त से अपराध के हेतु, तैयारी, कारित किए जाने तथा उसके पश्चात्त्वर्ती पहलुओं तथा, यदि कोई हो, तो अपराध में अन्य व्यक्तियों की संलिप्तता के बारे में विस्तार से पूछताछ करनी पड़ सकती है। ऐसी परिस्थितियाँ हो सकती हैं जिनमें अभियुक्त तात्विक तथ्यों की खोज की ओर ले जाने वाली सूचना प्रदान कर सके। विवेचना को बिना किसी बाधा के आगे बढ़ने में सक्षम बनाने हेतु तथा साक्षियों एवं अपराध के पीड़ित से संबंधित व्यक्तियों की सुरक्षा हेतु, उसके फरार होने से रोकने हेतु, तथा क्षेत्र में विधि एवं व्यवस्था बनाए रखने हेतु उसकी स्वतंत्रता को सीमित करना आवश्यक हो सकता है। इन अथवा अन्य कारणों से, गिरफ्तारी विवेचना की प्रक्रिया का एक अनिवार्य भाग बन सकती है। प्रस्तावित गिरफ्तारी की वैधता

का परीक्षण संहिता की धारा 438 के अंतर्गत प्रार्थना पत्र में

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



नहीं किया जा सकता। विवेचक की भूमिका सुपरिभाषित है तथा विवेचना की प्रक्रिया में न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप का अधिकारिता-क्षेत्रीय दायरा सीमित है। न्यायालय सामान्यतः किसी अपराध की विवेचना अथवा किसी संज्ञेय अपराध में अभियुक्त की गिरफ्तारी में हस्तक्षेप नहीं करेगा। संहिता की धारा 438 के अंतर्गत प्रार्थना पत्र से निपटते समय पारित गिरफ्तारी को रोकने वाला अंतरिम आदेश विवेचना में हस्तक्षेप के तुल्य होगा, जो किसी भी दशा में, संहिता की धारा 438 के अंतर्गत नहीं किया जा सकता।'

76. सिद्धाराम सातलिंगप्पा म्हेत्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य, (2011) 1 एस.सी.सी. 694: (2011) 1 एस.सी.सी. (क्रि.) 514] में, उच्चतम न्यायालय ने अग्रिम जमानत से निपटते समय विचार किए जाने वाले तत्वों तथा मापदंडों को प्रतिपादित किया। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि गिरफ्तारी किए जाने से पूर्व अभिकथन की प्रकृति तथा गंभीरता एवं अभियुक्त की यथार्थ भूमिका को सम्यक रूप से समझा जाना चाहिए तथा न्यायालय को अभियुक्त के विरुद्ध उपलब्ध सामग्री का अत्यंत सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना चाहिए। यह भी अभिनिर्धारित किया गया था कि न्यायालय को यह भी विचार करना चाहिए कि क्या अभिकथन केवल आवेदिका को गिरफ्तार करके क्षति पहुँचाने अथवा अपमानित करने के उद्देश्य से किए गए हैं।

77. सिद्धाराम सातलिंगप्पा म्हेत्रे [सिद्धाराम सातलिंगप्पा म्हेत्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2011) 1 एस.सी.सी. 694: (2011) 1 एस.सी.सी. (क्रि.) 514] तथा अन्य निर्णयों का उल्लेख करने के पश्चात तथा यह प्रेक्षित करते हुए कि अग्रिम जमानत केवल असाधारण परिस्थितियों में ही प्रदान की जा सकती है, जय प्रकाश सिंह बनाम बिहार राज्य [जय प्रकाश सिंह बनाम बिहार राज्य, (2012) 4 एस.सी.सी. 379: (2012) 2 एस.सी.सी. (क्रि.) 468] में, उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया: (एस.सी.सी. पृ. 386, पैरा 19)

‘19. किसी गंभीर अपराध में अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने हेतु

मापदंडों का समाधान किया जाना अपेक्षित है तथा आगे ऐसी अनुतोष

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



प्रदान करते समय, न्यायालय को उसके कारणों को अभिलिखित करना चाहिए। अग्रिम जमानत केवल उन असाधारण परिस्थितियों में प्रदान की जा सकती है जहाँ न्यायालय प्रथम दृष्टया इस मत का हो कि आवेदिका को अपराध में मिथ्या रूप से फंसाया गया है तथा वह अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगी। (देखें डी.के. गणेश बाबू बनाम पी.टी. मनोकरण [डी.के. गणेश बाबू बनाम पी.टी. मनोकरण, (2007) 4 एस.सी.सी. 434: (2007) 2 एस.सी.सी. (क्रि.) 345], महाराष्ट्र राज्य बनाम मोहम्मद साजिद हुसैन मोहम्मद एस. हुसैन [महाराष्ट्र राज्य बनाम मोहम्मद साजिद हुसैन मोहम्मद एस. हुसैन, (2008) 1 एस.सी.सी. 213: (2008) 1 एस.सी.सी. (क्रि.) 176] तथा भारत संघ बनाम पदम नारायण अग्रवाल [भारत संघ बनाम पदम नारायण अग्रवाल, (2008) 13 एस.सी.सी. 305: (2009) 1 एस.सी.सी. (क्रि.) 1])।'

आर्थिक अपराध

78. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के अंतर्गत शक्ति, एक असाधारण उपचार होने के नाते, विरलतापूर्वक प्रयोग की जानी चाहिए; विशेष रूप से आर्थिक अपराधों के मामलों में। आर्थिक अपराध एक भिन्न वर्ग के रूप में खड़े होते हैं क्योंकि वे समाज के आर्थिक ताने-बाने को प्रभावित करते हैं। प्रवर्तन निदेशालय बनाम अशोक कुमार जैन [प्रवर्तन निदेशालय बनाम अशोक कुमार जैन, (1998) 2 एस.सी.सी. 105: 1998 एस.सी.सी. (क्रि.) 510] में, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि आर्थिक अपराधों में, अभियुक्त अग्रिम जमानत का हकदार नहीं है।

15. सुशीला अग्रवाल एवं अन्य बनाम राज्य (एन.सी.टी. दिल्ली) एवं अन्य, (2020) 5 एस.सी.सी. 1 में रिपोर्ट किए गए मामले में, इस न्यायालय की संविधान पीठ ने यह अभिनिर्धारित किया कि गिरफ्तारी-पूर्व जमानत प्रदान किए जाने संबंधी प्रार्थना पत्र पर विचार करते समय न्यायालय को अपराध की प्रकृति, व्यक्ति की भूमिका, विवेचना के क्रम को प्रभावित करने की संभावना, साक्ष्य से छेड़छाड़ की संभावना अथवा न्याय से बचकर भागने की संभावना पर विचार करना होता है। न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया:-

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



‘92.4. न्यायालयों को सामान्यतः अपराधों की प्रकृति एवं गंभीरता, आवेदिका को समनुदेशित भूमिका तथा मामले के तथ्यों जैसे विचारों से निर्देशित होना चाहिए, अग्रिम जमानत प्रदान करने अथवा अस्वीकार करने पर विचार करते समय। प्रदान करना अथवा न करना विवेकाधिकार का विषय है; समान रूप से क्या तथा यदि हाँ, तो किस प्रकार की विशेष शर्तें अधिरोपित की जानी हैं (अथवा नहीं की जानी हैं) यह मामले के तथ्यों तथा न्यायालय के विवेकाधिकार पर निर्भर करता है।’”

11. इस न्यायालय के मत में, नियमित जमानत तथा अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने के मापदंड भिन्न हैं तथा यह आवश्यक नहीं है कि जो आधार किसी अभियुक्त को नियमित जमानत पर मुक्त करने हेतु पर्याप्त हैं, वे उसे अग्रिम जमानत पर मुक्त करने हेतु भी पर्याप्त हों। इसके अतिरिक्त, माननीय उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने **गुरबखश सिंह सिब्बिया एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य, (1980) 2 एस.सी.सी. 565** के मामले में यह भी प्रेक्षित किया है कि अग्रिम जमानत प्रदान करने की शक्ति एक असाधारण शक्ति है तथा अतः यह असाधारण शक्ति होने के कारण इसे नियमित रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता।

12. अतः, उपर्युक्त विवेचित मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए, मेरे मत में, आवेदिका अग्रिम जमानत पर मुक्त किए जाने की हकदार नहीं है।

13. तदनुसार, वर्तमान अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र **निरस्त** किया जाता है।

(विवेक कुमार सिंह, न्यायमूर्ति)

18 अगस्त, 2026

ए.पी. पाण्डेय